

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
पी डी एम प्रभाग
सेवा भवन, रामाकृष्णा पुरम
नई दिल्ली - 110066
वेबसाइट : www.cea.nic.in

सं० के.वि.प्रा./पीएलजी/पी डी एम /545/2017 950-1009

दिनांक : 21.04.2017
24-04-2017

सेवा में,

मुख्य अभियंता (वर्क्स),
प्लॉट न०. जी -9, प्रकाशगड, 3rd फ्लोर, बांद्रा (E),
मुंबई - 400051,
फैक्स न० . 022-26473896,

Email: cegw@mahagenco.in

विषय : सुपरक्रिटिकल इकाइयों द्वारा पुरानी और अक्षम तापीय इकाइयों की प्रतिस्थापन—महाजेनको के कोराडी ताप विद्युत् स्टेशन की इकाई संख्या 5 (200 मेगावॉट) के डिकमीशनिंग और रिटायर्मेंट के संदर्भ में।

संदर्भ : 1. Mahagenco's Board Resolution Ref. No. MSPGCL/BM-167/167.9, dated 15.03.17
(BR NO. 2017/2195) 2. Mahagenco/CE/WORKS/Koradi/4172, dated 03.04.2017


महोदय,

यह आपके दिनांक 03.04.2017 के उपरोक्त पत्र के संदर्भ, जिसमें महाजेनको के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर के निर्णय के बाद, कोराडी ताप विद्युत् स्टेशन की इकाई संख्या 5 (200 मेगावॉट) के डिकमीशनिंग और रिटायर्मेंट की सूचना, दिनांक 15.03.2017 के बोर्ड रेजुलेशन की प्रति के साथ दी गयी है, के बारे में है। यह पाया गया है कि महाजेनको के बोर्ड द्वारा इस यूनिट को रिटायर करने का निर्णय दिनांक 02.03.2017 को आयोजित बैठक में ले लिया गया है। विचार विमर्श के बाद, बोर्ड द्वारा कोराडी ताप विद्युत् स्टेशन की इकाई संख्या 5 (200 मेगावॉट) के डिकमीशनिंग और रिटायर करने की मंजूरी दिनांक 02.03.2017 से दे दिया गया है।

यह केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा पहले से ही तय किया गया है कि जनरेटिंग कंपनी को अपने इकाइयों के रिटायर्मेंट के लिए के.वि.प्रा. की मंजूरी अनिवार्य नहीं है, जो तकनीकी-आर्थिक कारणों के आधार पर स्वयं लिया जा सकता है। इस प्रभाव की सूचना दिनांक 25.01.2017 के पत्र के द्वारा सभी उपयोगिताओं को भेजी जा चुकी है। उसकी एक प्रति त्वरित संदर्भ के लिए संलग्न है।

कोराडी ताप विद्युत् स्टेशन की इकाई संख्या 5 को महाजेनको द्वारा रिटायर करने का निर्णय उनके स्वयं के तकनीकी-आर्थिक कारणों से लिया गया है और उनके निर्णय के आधार पर इस यूनिट की स्थापित क्षमता को हमारे रिकॉर्ड से हटाया जा रहा है।

भवदीय,



(पी. डी. सिवाल)
सचिव, के.वि.प्रा.

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ:-

1. विशेष सहायक, अध्यक्ष, के.वि.प्रा.
2. विशेष सहायक, सदस्य (योजना/जल विद्युत/तापीय/ई. एंड सी./ जी. ओ. एंड डी./ पी.एस.), के.वि.प्रा.
3. के.वि.प्रा. के सभी मुख्य अभियंता
4. के.वि.प्रा. के सभी अधिनस्थ कार्यालयों के प्रधान
5. आई टी प्रभाग के वि प्रा को के वि प्रा की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए